भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3934

शुक्रवार 19 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

अनुसंधान और नवाचार में विदेशी सहयोग

3934. श्री सुधीर गुप्ता :

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

श्री चन्द्र शेखर साहू:

श्री विद्युत बरन महतो:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ई.यू. की विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त समिति अनुसंधान और नवाचार में भारत ई.यू सहयोग के लिए दीर्घावधि रणनीतिक स्वरूप को विकसित और स्वीकार करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इससे दोनों तरफ क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियां आवंटित की हैं और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अनुसंधान और नवाचार में अन्य देशों के साथ सहयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डा. हर्ष वर्धन)

(क) और (ख) जी हाँ। दोनों पक्ष जल, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा अपव्यय निवारण, स्वास्थ्य, प्रतिपालनीय कृषि-आहार प्रसंस्करण, विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स सहित साइबर-भौतिक प्रणाली (सीपीएस), वर्तुल अर्थव्यवस्था और संसाधन अपव्यय निवारण (अपशिष्ट-से-ऊर्जा; प्लास्टिक; आदि); इलेक्ट्रिक गतिशीलता; पृथ्वी, महासागर और वायुमंडल विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग का रास्ता निकालने पर सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने यूरोप और भारत के बीच शोधकर्ताओं के अधिक संतुलित आने-जाने को लक्ष्य बनाकर पारस्परिक हितों और एक-दूसरे के समकक्ष कार्यक्रमों को पारस्परिक रूप से बढ़ावा देने के आधार पर शोधकर्ताओं के प्रशिक्षण और गतिशीलता सहित मानव पूंजी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

इस सहयोग से संभावित लाभों में नए ज्ञान का सह-निर्माण और सह-विकास,अनुसंधान और विकास के माध्यम से प्रक्रिया या प्रोटोटाइप विकास, संयुक्त वैज्ञानिक प्रकाशन, जनशक्ति प्रशिक्षण, सहयोग के माध्यम से आईपी सृजन और, इस तरह के सहयोग के परिणामों का उनके आर्थिक और सामाजिक लाभ की दृष्टि से अनुप्रयोग शामिल है।

(ग) कोई विशिष्ट निधि भारत-ई यू अनुसंधान सहयोग के लिए आवंटित नहीं की गई है। तथापि, संयुक्त अनुसंधान और नवाचार कार्यकलाप जैसे संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजना, कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि का निधीयन मंत्रालय के उपलब्ध बजट से सहायित किया जाएगा।

(घ) डीएसटी प्रवर देशों, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संस्थानों और अन्य अंतरराष्ट्रीय एसएंडटी संगठनों के साथ निर्णीत अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी कायम करके 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोगशील लाभ' का फायदा युक्तिपूर्ण ढ़ग से उठाने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगशील एसएंडटी कार्यक्रम, अफ्रीका, आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ), ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) और पड़ोसी देशों के लिए समर्पित कार्यक्रमों सहित, 46 से अधिक देशों में लागू है । संयुक्त गतिविधियों में द्विपक्षीय कार्यशाला, संगोष्ठी और प्रदर्शनी के माध्यम से सूचना और नेटवर्किंग का प्रसार; अंतरराष्ट्रीय बैठक में युवा छात्र शोधकर्ताओं की भागीदारी सहित द्विपक्षीय उन्नत स्कूल और प्रशिक्षण कार्यक्रम; बहु-संस्थागत नेटवर्क युक्त परियोजना सहित द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय अनुसंधान और विकास संयुक्त परियोजना शामिल हैं। कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, इटली, रूस, स्पेन, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ औद्योगिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाएं उद्योग भागीदारी कायम करते हुए कार्यान्वित की गईं। इज़राइल के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के लिए समर्पित कोष बनाया गया है। साथ ही, आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वृहत परियोजनाओं में भारतीय शोधकर्ताओं की भागीदारी सुकर की गई है।

****